

राजस्थान सरकार
कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आर्थिक पिछड़ा वर्ग (सामान्य वर्ग) की मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरण योजना
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर (सरकारी/निजी विद्यालय) द्वारा आयोजित शैक्षणिक वर्ष 2017-18 की
कक्षा-10, प्रवेशिका, कक्षा-12 (कला, वाणिज्य, विज्ञान) व वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में 85 प्रतिशत से अधिक अंक
प्राप्त करने वाली छात्राओं हेतु

:: आवेदन पत्र ::

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक	स्थान:- विद्यालय जहां से सम्बन्धित परीक्षा उत्तीर्ण की है।
---	--

1. छात्रा का नाम.....
2. पिता/पति का नाम.....
3. जन्मतिथि.....
(सैकण्ड्री परीक्षा प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
4. जाति.....
(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
5. निवास का पता.....
.....जिला.....राज्य.....
फोन (एस.टी.डी. कोड).....फोन नं0.....मोबाइल नं0.....
6. मूल निवास स्थान.....
(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
7. आधार कार्ड नं0 / E.I.D. No. (स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
8. भासाशाह कार्ड नं0 / E.I.D. No. (स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
9. माता/पिता/पति/अभिवावक/संरक्षक का व्यवसाय.....
10. छात्र के माता/पिता/पति/अभिवावक/संरक्षक की वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल वार्षिक आय
(मूल आय प्रमाण-पत्र संलग्न करें जो छ: माह से अधिक पुराना नहीं हो तथा सकल वार्षिक आय राशि रूपये 2,50,000/- से कम हो।)
- 11- क्या छात्रा द्वारा बजट घोषणा संख्या 155.0.0 के अन्तर्गत एकमुश्त राशि रूपये 15000/- एवं प्रशस्ति पत्र दिये जाने का विकल्प दिया है। यदि नहीं तो बजट घोषणा संख्या 133.02.0 के अन्तर्गत स्कूटी प्राप्त करने हेतु स्व हस्ताक्षरित शपथ-पत्र संलग्न करें।
- 12- परीक्षा से सम्बन्धित विवरण :

कक्षा/संकाय का नाम	परीक्षा वर्ष	प्राप्तांक	प्रतिशत	राजकीय/निजी विद्यालय का नाम (जहां अध्ययन किया गया)
कक्षा-10	2017-18			
प्रवेशिका	2017-18			
कक्षा-12 (कला, विज्ञान, वाणिज्य)	2017-18			
वरिष्ठ उपाध्याय	2017-18			

- 13- छात्रा द्वारा वितरित स्कूटी के रजिस्ट्रेशन/बीमा/परिवहन विभाग द्वारा वसूल किये जाने वाले शुल्क को एक बार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जावेगा।
- 14- प्रमाण-पत्र : (छात्रा का नाम) प्रमाणित करती हूँ कि बिन्दू संख्या

01 से 13 में अंकित की गई समस्त सूचनाएँ पूर्णतः सही व सत्य हैं। यदि प्रस्तुत की गई कोई भी सूचना/तथ्य असत्य पाये गये तो मैं स्कूटी की लागत राशि वापिस राजकोष में जमा करवाने का वचन देती हूँ।
दिनांक

छात्रा के हस्ताक्षर

संलग्नक :

क्रम संख्या	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण	हाँ/नहीं अंकित करें
1	उत्तीर्ण परीक्षा प्रमाण—पत्र व अंक तालिका की स्व—प्रमाणित प्रति	
2	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण—पत्र की स्व—प्रमाणित प्रति	
3	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण—पत्र की स्व—प्रमाणित प्रति	
4	आधार—कार्ड की स्व—प्रमाणित प्रति	
5	भामाशाह कार्ड की स्व—प्रमाणित प्रति	
6	सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में (समस्त छात्रों) राशि रूपये 2,50,000 से कम वार्षिक आय के सम्बन्ध में छात्रा के माता—पिता/पति/अभिवावक/संरक्षक की आय के आधार पर जारी आय—प्रमाण पत्र। (आय प्रमाण पत्र 6 माह से अधिक की अवधि का नहीं होना चाहिये।)	
7	छात्रा द्वारा बजट घोषणा संख्या 155.0.0 के अन्तर्गत छात्रवृत्ति राशि प्राप्त नहीं करने बाबत स्व—प्रमाणित शपथ पत्र	
8	छात्रा द्वारा राज्य सरकार की वित्तीय वर्ष 2018–19 में किसी अन्य घोषणा के अन्तर्गत स्कूटी प्राप्त नहीं करने के अन्तर्गत स्व—प्रमाणित शपथ पत्र	

छात्रा के हस्ताक्षर

(राजकीय व निजी विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा जारी प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि छात्रा..... पुत्री..... ने शैक्षणिक वर्ष 2017–18 मे शाला के अभिलेख अनुसार कक्षा..... में अध्ययनरत रहकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम के आधार पर कुल प्राप्तांक..... प्रतिशत अंक..... प्राप्त किये हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक—प्रथम
को प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक

हस्ताक्षर शाला/संस्था प्रधान
मय सील